

प्रेस नोट:-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 30.09.2019

पैदल गश्त अभियान:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 135 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही:-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल-15 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार-

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त-01. अनुज कुमार गुप्ता उर्फ दहन पुत्र स्व0 ओम प्रकाश गुप्ता निवासी मोहल्ला रफी नगर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना मनकापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-354/19 धारा 498ए.304बी.307 भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिशोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

उक्त अभियुक्त ने वादिनी बिट्टा देवी पत्नी शिवकुमार नि0 अधीनपुर थाना रेहराबाजार जनपद बलरामपुर की पुत्री मालती को दहेज के कारण प्रताड़ित करते हुए जलाकर जान से मारने का प्रयास किया था। जिसकी इलजा के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना को0 मनकापुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 मनकापुर पुलिस ने आज दिनांक 30.09.2019 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-15 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

अवैध रूप से विस्फोटक/पटाखा बेचने वाला आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री बरामद-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो0 अयूब उर्फ बबलू पुत्र मो0 इब्राहिम निवासी ग्राम रघुराजनगर टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-376/19 धारा 9(बी) विस्फोटक अधिनियम थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 1500 सुतली पटाखा।
02. 1000 लहसुन पटाखा।
03. 40 अदद राकेट।

संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान में बिना लाइसेन्स अवैध रूप से पटाखों की बिक्री व भण्डारण करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में दिनांक 29.09.2019 को थाना वजीरगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर अवैध रूप से बिना लाइसेन्स भण्डारण किये हुए पटाखों की बरामदगी की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

01. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दूबे। ,
02. उ0नि0 प्रमोद कुमार।
03. हे0का0 विजय शंकर राजभर।
04. का0 अनुज वर्मा।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 30.09.2019

अन्तर्जनपदीय चोरो के गैग का पर्दाफाश ,चोरी की 13 अदद पायल, 03 अदद मोटर साइकिल, 5000/- रू नगद, एक अदद मोबाइल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद अवैध तमंचा भी बरामद-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अरविन्द वर्मा पुत्र जवाहिर वर्मा उम्र करीब 19वर्ष नि0ग्रा0 सलहदीपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।
02. गौरव सिंह पुत्र हरभजन सिंह उम्र करीब 18 वर्ष नि0ग्रा0 सिसहनी थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मुकेश यादव पुत्र रामदरश यादव उम्र करीब 23 वर्ष नि0ग्रा0 सिसहनी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 271/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अरविन्द वर्मा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 270/19 धारा 457.380 भादवि0 सम्बन्धित थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 269/19 धारा 379.294.504.506 भादवि0 सम्बन्धित थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 227/19 धारा 457.380 भादवि0 सम्बन्धित थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 132/19 धारा 457.380 भादवि0 सम्बन्धित थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।
05. मु0अ0सं0 131/19 धारा 380 भादवि0 सम्बन्धित थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।
06. मु0अ0सं0 113/19 धारा 457.380 थाना गौर जनपद बस्ती।

बरामदगी-

01. 13 अदद पायल।
02. 03 अदद मोटर साइकिल (पेशन प्रो. यू0पी0 43 पी 5987, हीरो डीलक्स यू0पी0 43 आर 6526 , तथा हीरो होण्डा स्पलेण्डर यू0पी0 51 एल 9121)।
03. 5000/- रू नगद।
04. 01 अदद मोबाइल।
05. 01 अवैध तमंचा।

संक्षिप्त विवरण-

पिछले कुछ समय से जनपद मे वाहन चोरी व नकबजनी की घटनाये प्रकाश मे आ रही थी। वाहन चोरी व नकबजनी की इन घटनाओ पर नाराजगी जताते हुये पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को इन घटनाओ पर अंकुश लगाने व चोरो को गिरफ्तार करने हेतु कड़े निर्देश जारी किये थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये इन्ही कड़े निर्देशो के फलस्वरूप थाना छपिया पुलिस को चोरो के एक गैग को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुयी है।

दिनांक 29.09.19 को समय करीब 17.30 बजे सायंकाल को मुखबिर खास की सूचना पर थाना छपिया पुलिस ने कुनगइया रेलवे क्रांसिग के पास से चोरो के गैग के तीन सदस्य अरविन्द वर्मा, गौरव सिंह व मुकेश यादव उपरोक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किये गये तीनों अभियुक्त अन्तरजनपदीय चोर है, जो कि नकबजनी व वाहन चोरी की कई घटनाओ मे लिप्त है। जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर थाना छपिया के परसातिवारी से चोरी की गयी एक अदद मोबाइल, कुनगइया से सर्राफा की दुकान से नकब लगाकर की गयी चोरी की 13 अदद पायल, थाना गौर जनपद बस्ती की दुकान से ताला तोड़कर चोरी किये गये 1,21000 रुपयों मे से 5000 रू नगद तथा चोरी की 03 अदद मोटर साइकिल बरामद की गयी। बरामद मोटर साइकिलों के सम्बन्ध मे अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि ये मोटर साइकिले उनके साथियो द्वारा अलग-अलग स्थानो से चोरी की गयी है इनका इस्तेमाल हम लोग चोरी मे करते है। बरामद मोटर साइकिलो के सम्बन्ध मे अलग से विधिक कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तो को विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री श्यामबहादुर सिंह।
02. निरीक्षक अपराध श्री मनीष।
03. उ0नि0 अरुण कुमार राय।
04. उ0नि0 राजकुमार सिंह।
05. उ0नि0 सुशील कुमार सिंह।
06. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार।
07. का0 बृजानन्द विश्वकर्मा, 08. का0 अखिलेश कुमार राय, 09. का0 चेतन पाण्डेय, 10. का0 शैलेन्द्र कुमार।

जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अमर सिंह पुत्र माता प्रसाद सिंह नि० तिरैमनोरमा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—180 / 19, धारा 323.504.506.307.308.392 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास—

01. मु०अ०सं०—50 / 1998, धारा 379 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
02. मु०अ०सं०—175 / 2000, धारा 147.427 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
03. मु०अ०सं०—74 / 02, धारा 452.323.325.504.506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
04. मु०अ०सं०—154 / 05, धारा 3 यू०पी० गुण्डा एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
05. मु०अ०सं०—82 / 07, धारा 110 जी सी०आर०पी०सी० भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
06. मु०अ०सं०—108 / 07, धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
07. मु०अ०सं०—06 / 08, धारा 110 जी सी०आर०पी०सी० थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
08. मु०अ०सं०—252 / 09, धारा 3 यू०पी० गुण्डा एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
09. मु०अ०सं०—176 / 10, धारा 147.148.323.504.506.324.308 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
10. मु०अ०सं०—61 / 12, धारा 110 जी सी०आर०पी०एस० भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
11. मु०अ०सं०—145 / 12, धारा 352.504.506.427 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
12. मु०अ०सं०—218 / 12, धारा 406.409 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
13. मु०अ०सं०—283 / 12, धारा 147.148.149.504.506.307 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
14. मु०अ०सं०—35 / 16, धारा 3(1) यू०पी० गुण्डा एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
15. मु०अ०सं०—193 / 16, धारा 504.336.307 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
16. मु०अ०सं०—238 / 17, धारा 147.148.149.307.323.504.506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
17. मु०अ०सं०—121 / 18, धारा 147.323.504.506 भादवि व 3(1)द/ध एस०सी०एस०टी० एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
18. मु०अ०सं०—227 / 18, धारा 147.504.506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
19. मु०अ०सं०—180 / 19, धारा 323.504.506.307.308.392 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध/अपराधियों व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 29.09.2019 को वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद की स्वाट/सर्विलांस व थाना इटियाथोक की संयुक्त टीम ने थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु०अ०सं०— 180 / 19 धारा 323.504.506.307.308.392 भादवि के वांछित अभियुक्त अमर सिंह पुत्र माता प्रसाद सिंह नि० तिरैमनोरमा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को लखनऊ रजवाड़ा अपार्टमेन्ट के बगल स्थित बन्द पड़े पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. अतुल कुमार चतुर्वेदी प्रभारी स्वाट/सर्विलांस ।
02. उ०नि० अश्वनी कुमार राय थाना इटियाथोक ।
03. हेड का० श्रीनाथ स्वाट टीम ।
04. का० मुलायम यादव ।
05. का० आदित्य पाल ।
06. का० राजेन्द्र यादव ।
07. का० आशुतोष यादव थाना इटियाथोक ।
08. का० अन्जीत कुमार ।
09. का० मंशा यादव थाना चिनहट जनपद लखनऊ ।
10. का० आत्म देव ।